न्यूज़ टुडे

खाद्य और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन संधि (ITPGRFA) के शासी निकाय का 11वां सत्र लीमा (पेरू) में संपन्न हुआ

ITPGRFA सत्र में, **पहुंच और लाभ-साझाकरण के कामकाज के लिए बहुपक्षीय प्रणाली (Multilateral System: MLS)** के विस्तार पर वार्ता विफल रही।

- MLS **35 प्रमुख खाद्य फसलों और 29 चारे वाली फसलों** के आनुवंशिक संसाधनों के साझाकरण को नियंत्रित करता है।
  - संयुक्त रूप से ये फसलें विश्व के **पादप-आधारित आहार का लगभग 80 प्रतिशत** हिस्सा हैं। ये संधि के **परिशिष्ट 1 (Annexure 1)** में वर्णित हैं।
  - जब कोई देश ITPGRFA को अपनाता है, तो वह इन फसलों की **आनुवंशिक विविधता को MLS के माध्यम से अन्य सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध** कराने पर सहमत होता है।
    - इन फसलों की आनुवंशिक विविधता को विशेष रूप से **सार्वजनिक जीन बैंकों** से उपलब्ध कराया जाता है।

11वें सत्र में प्रस्तुत समझौता प्रस्ताव

- **संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौते (SMTA)** को अपनाया गया। साथ ही, यह भी तय किया गया कि **पर्याप्त भुगतान दरें और सीमाएं शासी निकाय के 12वें सत्र में अनुमोदित** की जाएंगी।
  - **SMTA के निम्नलिखित कार्य हैं-**
    - पादप आनुवंशिक सामग्री के आदान-प्रदान को नियंत्रित करना;
    - इस सामग्री के दुरुपयोग को रोकना; तथा
    - यह सुनिश्चित करना कि उत्पन्न होने वाले किसी भी वाणिज्यिक लाभ को निष्पक्ष व न्यायसंगत तरीके से साझा किया जाए।
- **भुगतान प्रणाली, परिशिष्ट I का विस्तार, और डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) के नियम** जैसे प्रमुख मुद्दे 12वें सत्र के लिए **स्थगित** कर दिए गए।

भारत का पक्ष

- भारत ने **संप्रभु अधिकारों और निष्पक्ष लाभ-साझाकरण** की रक्षा करने की मांग की।
- भारत ने **अपारदर्शी मसौदे** का विरोध किया और मांग की कि सभी अनसुलझे मुद्दों पर **12वें सत्र** में फिर से विचार किया जाए।

ITPGRFA के बारे में

- ITPGRFA को **2001 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के सम्मेलन में अपनाया गया था। यह **2004** से लागू हुई थी।
- यह फसल आनुवंशिक विविधता के प्रति समर्पित पहला **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है।
- इसका उद्देश्य खाद्य और कृषि के लिए सभी पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है। साथ ही, उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व न्यायसंगत बंटवारा भी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
- **यूरोपीय संघ और भारत सहित 154 देश** इसके पक्षकार हैं।

असम के 'मंत्रियों के समूह (GoM)' ने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की सिफारिश की

ये छह समुदाय हैं; **ताई अहोम, चाय जनजातियां या आदिवासी (टी ट्राइब्स), मोरान, मोटोक, चुटिया और कोच-राजबोंगशी**। वर्तमान में, ये समुदाय असम की **"अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)" सूची** में सूचीबद्ध हैं। ये **असम राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 27%** हैं।

GoM की मुख्य सिफारिशें

- **असम में अनुसूचित जनजातियों का त्रि-स्तरीय वर्गीकरण:** वर्तमान में, असम में अनुसूचित जनजातियों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है — **अनुसूचित जनजाति (मैदानी)** और **अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी)**। मंत्रियों के समूह ने **अनुसूचित जनजाति (घाटी)** नामक **तीसरी श्रेणी** को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।
  - अनुसूचित जनजाति (मैदानी) को **10% आरक्षण** और **अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी)** को **5% आरक्षण** प्रदान किए गए हैं।
- **केंद्र सरकार के स्तर पर आरक्षण: अनुसूचित जनजाति के** सभी समुदाय **एक सामान्य (कॉमन) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति श्रेणी के** तहत प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- **अंतरिम उपाय: राज्य में OBC के लिए वर्तमान 27% आरक्षण कोटा का उप-वर्गीकरण** हो।
  - **OBC के लिए 27% आरक्षण कोटा का उप-वर्गीकरण** का अर्थ आरक्षण कोटे को विभिन्न उप-श्रेणियों में विभाजित करना है ताकि आरक्षण के लाभों का अधिक न्यायसंगत रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से संबंधित प्रावधान

- **अनुच्छेद 366(25): इस अनुच्छेद** के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ (ST) वे समुदाय हैं जिन्हें **अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित** किया गया है।
- **अनुच्छेद 342:** इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को **अनुसूचित जनजातियों की प्रारंभिक सूची अधिसूचित करने का अधिकार** है। इस **सूची में संशोधन संसद द्वारा कानून बनाकर** किया जा सकता है।
- **अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए मानदंड:** संविधान में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड निर्धारित नहीं है। हालांकि, **लोकुर समिति (1965) ने निम्नलिखित मानदंड सुझाए थे:**
  - **आदिम प्रकृति** का अभिलक्षण होना,
  - **विशिष्ट संस्कृति** होना,
  - **भौगोलिक रूप से अलग-थलग जिंदगी** यानी आम बस्तियों से दूर पहाड़ियों में रहना,
  - **बाहरी लोगों से संपर्क रखने में संकोच,** और
  - **पिछड़ापन**।

प्रधान मंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना के साथ पुलिसिंग पद्धतियों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया

भारत में पुलिस से संबंधित प्रमुख चुनौतियां

- **अपराध के नए रूप:** श्वेत-कॉलर अपराध (जैसे- रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार, कर चोरी, राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन आदि) के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे आधुनिक तकनीकी उपयोग शामिल हैं।
- **अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं:** पर्याप्त परिवहन और संचार नेटवर्क, आधुनिक हथियार, आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण आदि का अभाव।
- **कर्मचारियों की कमी:** पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के जनवरी, 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार **एक लाख व्यक्तियों पर पुलिसकर्मियों का अनुपात 152.80 है, जबकि स्वीकृत अनुपात 196.23** है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक उपाय

- **अभिनव रणनीतियां:** कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उत्पन्न करने के लिए AI के माध्यम से NATGRID के तहत एकीकृत डेटाबेस का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
- **अनुसंधान:** विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को पुलिस जांच में फोरेंसिक के उपयोग पर केस स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **समग्र-सरकार दृष्टिकोण:** प्रवर्तन, पुनर्वास, और सामुदायिक-स्तर के हस्तक्षेप को एक साथ लाना चाहिए।
- **प्रशासनिक सुधार:** उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रकाश सिंह मामले (2006)** में सुझाए गए सुधारों का पूर्ण भावना से पालन करना चाहिए। इन सुधारों में **DGP के कार्यकाल और चयन को निर्धारित करना, राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना** आदि शामिल हैं।

भारत में पुलिस सुधार हेतु किए गए उपाय

- **योजना:** पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता (ASUMP) योजना आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस बलों को आवश्यक आधुनिक तकनीक से पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है।
- **विधायी सुधार:** नए आपराधिक कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) लागू किए गए हैं।
- **स्मार्ट पुलिसिंग पहलें:** जैसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS), आदि।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'भगवद्गीता' नैतिक स्पष्टता (Moral Clarity) प्रदान करने वाली एक सार्वभौमिक मार्गदर्शिका है

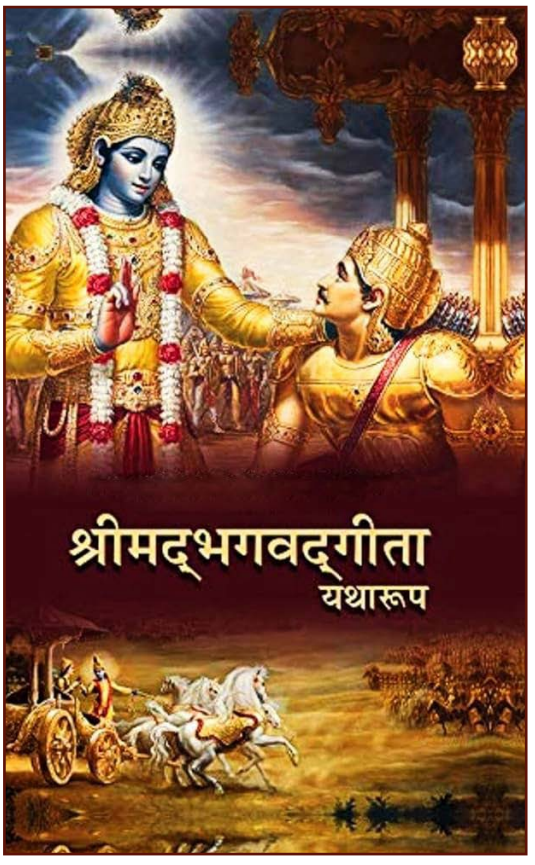

'भगवद्गीता' **भारतीय दर्शन का एक पवित्र धर्मग्रंथ** है। संस्कृत में रचित यह ग्रंथ **भारतीय महाकाव्य 'महाभारत' का अभिन्न अंश** है।

- यह **काव्य रूप में प्रस्तुत की गई** है। इसका संकलन **लगभग 200 ईसा पूर्व** में हुआ था।
- यह **भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में हुए संवाद का संग्रह** है।
- हाल ही में, **भगवद्गीता पांडुलिपि** को **"यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर"** में सूचीबद्ध किया गया है।

भगवद्गीता की नैतिक शिक्षाओं की वर्तमान में प्रासंगिकता

- **कर्म कर और फल की चिंता मत कर:** यह शिक्षा **"निष्काम कर्म"** के दर्शन द्वारा अभिव्यक्त होती है। यह दर्शन बताता है कि **मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उस कर्म के फल पर नहीं**—चाहे फल यानी परिणाम **मनोनुकूल हो या प्रतिकूल**।
  - यह **सकाम कर्म** के दर्शन के विपरीत है, जिसमें **किसी विशेष फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म** किए जाते हैं।
- **समाज और व्यक्ति के कल्याण का समन्वय:** भगवद्गीता **धर्म और व्यवस्था संरक्षित रखने; लोक-संग्रह** के माध्यम से **समरसता, एकता और सार्वभौमिक कल्याण** की स्थापना करने जैसे **व्यापक सामाजिक और वैश्विक लक्ष्यों पर बल** देती है।
- **भावनात्मक स्तर पर धैर्य बनाए रखना:** भगवद्गीता **"स्थितप्रज्ञ"** का उपदेश देती है। स्थितप्रज्ञ से आशय उस व्यक्ति से है जो भावनात्मक रूप से **धैर्यवान,** विपरीत परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने वाला, परिवर्तन के अनुरूप ढलने वाला और **मानसिक स्वास्थ्य को सेहतमंद रखने वाला हो**।
- **नेतृत्व-कौशल का विकास:** भगवद्गीता **'स्वधर्म'**—अर्थात **व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य या धर्म के पालन पर विशेष जोर** देती है।
- **अन्य शिक्षाएं:**
  - **निर्णय लेने की क्षमता (Decisiveness):** भगवद्गीता **अनिर्णय को निर्बल पक्ष** और **निर्णय लेने में स्पष्टता को सबल पक्ष** के रूप में देखती है।
  - **विनम्रता:** अपनी सीमाओं का ज्ञान।

अन्य सुर्ख़ियां

उच्चतम न्यायालय के नवीन दिशा-निर्देश

उच्चतम न्यायालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा-निर्देश **1 दिसंबर** से लागू होंगे।

नए दिशा-निर्देशों के बारे में:

- **नए मामलों की स्वचालित रूप से वाद सूची** बनाई जाएगी।
- **जमानत और बंदी प्रत्यक्षीकरण** जैसे अत्यावश्यक मामलों की त्वरित सुनवाई होगी। ऐसे मामलों को **दो कार्यदिवसों** के भीतर **स्वचालित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनवाई** की जाएगी।
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा **मौखिक उल्लेख** (Oral Mentioning) **पर प्रतिबंध**।
- पुराने मामलों के समय पर निपटान के लिए **सख्त स्थगन नियम**।
- **जमानत** याचिकाओं के लिए त्वरित कार्यवाही हेतु **अग्रिम प्रति की आवश्यकता** होगी।

हंसा-3 (एनजी)

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने **बेंगलुरु स्थित CSIR-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं** (National Aerospace Laboratories: NAL) में भारत के स्वदेशी **हंसा-3 एनजी के उत्पादन संस्करण का शुभारंभ** किया।

हंसा-3 (एनजी) के बारे में

- यह भारत का प्रथम **पूर्णतः कंपोजिट सामग्री से निर्मित दो सीटों वाला पायलट प्रशिक्षण विमान** है।
- इसे **PPL (निजी पायलट लाइसेंस) और CPL (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस)** प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सिम बाइंडिंग

दूरसंचार विभाग ने **ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स** के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य कर दी।

सिम बाइंडिंग के बारे में

- सिम-बाइंडिंग का अर्थ है कि मैसेजिंग ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि **उपयोगकर्ता का अकाउंट पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए डिवाइस में डाले गए सक्रिय सिम कार्ड से जुड़ा रहे**।
- इस निर्देश के तहत प्लेटफॉर्म्स को **सिम, मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच निरंतर लिंकिंग** लागू करनी होगी। साथ ही, सिम हटा दिए जाने या निष्क्रिय होने पर सेवाएं बंद कर देनी होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

ITU का **विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन (WTDC-25) बाकू** में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन **प्रत्येक चार वर्षों** में आयोजित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में (मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड)

- **परिचय:** यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों (ICT) के लिए **संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है**।
- **सदस्य: 194** सदस्य देश, और **1000** से अधिक कंपनियां, विश्वविद्यालय, आदि।
- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। **पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ अभिसमय से अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ (ITU का पुराना नाम)** की स्थापना हुई थी।
- **मुख्य कार्य:**
  - **प्रमुख संसाधनों का प्रबंधन:** रेडियो आवृत्तियों का आवंटन और उपग्रहों की अवस्थिति।
  - **नियम निर्धारित करना:** निर्बाध वैश्विक संपर्क के लिए तकनीकी मानक बनाता है।

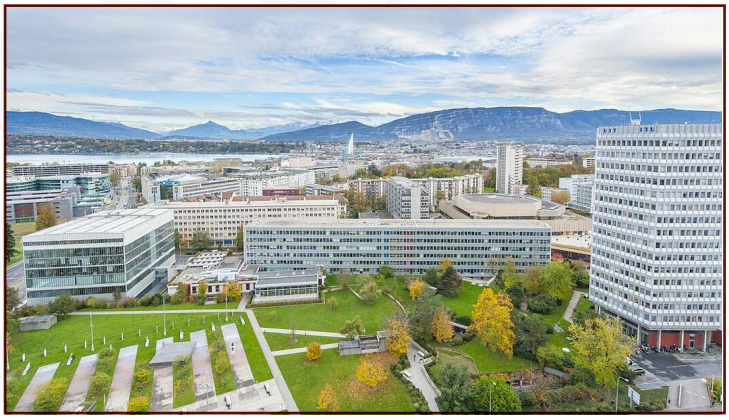

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के चरण

AI के विकास को **तीन चरणों** में वर्गीकृत किया जा सकता है: **कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता (ANI), कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI), और कृत्रिम अति-बुद्धिमत्ता (ASI)।**

AI के चरणों के बारे में

- **ANI:** इसे '**कमज़ोर AI**' भी कहा जाता है। यह कार्यों के एक संकीर्ण समूह में विशेषज्ञता रखता है, और इसमें ज्ञान को सामान्य बनाने की क्षमता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए- **सिरी, एलेक्सा** जैसे वर्चुअल असिस्टेंट।
- **AGI:** इसे '**मजबूत AI**' भी कहा जाता है, यह एक **काल्पनिक मशीनी बुद्धिमत्ता** है, जो किसी भी ऐसे **बौद्धिक कार्य को समझने या सीखने की क्षमता रखती है, जो एक मनुष्य कर सकता** है।
  - इसमें सामान्य समझ के आधार पर ज्ञान को **सामान्य** बनाने की क्षमता होती है।
  - वर्तमान में, वास्तविक AGI मौजूद नहीं है।
- **ASI:** यह एक **सैद्धांतिक अवधारणा** है, जो मानवीय बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाती है और संभावित रूप से उन समस्याओं को हल कर सकती है, जो वर्तमान में मानवीय क्षमताओं से परे हैं।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

AWBI ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए **नगरपालिका अधिकारियों हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं** जारी की।

- उच्चतम न्यायालय ने **स्कूलों, अस्पतालों और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक संस्थागत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने** का आदेश दिया है।

AWBI के बारे में

- यह पशु कल्याण कानूनों पर एक **वैधानिक सलाहकार निकाय** है और देश में **पशु कल्याण को बढ़ावा** देता है।
- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत 1962** में स्थापित।
- इसकी शुरुआत **प्रसिद्ध मानवतावादी स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल** के नेतृत्व में हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO)

भारत को **2025-29 के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनर्निर्वाचित** किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO) के बारे में (मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस)

- **स्थापना:** वर्ष 1946 में स्थापित। यूनेस्को का संविधान **नवंबर 1946** में लागू किया गया था।
- **सदस्यता:** 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य।
- यह **शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर साझी मानवता** को मजबूत करने के प्रति समर्पित **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है।
- **गवर्नेंस:** तीन प्रमुख निकायों, **महाधिवेशन, सचिवालय और कार्यकारी बोर्ड** द्वारा।
- **प्रमुख उपलब्धियां:** सार्वभौमिक कॉपीराइट अभिसमय (1952); मानव और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम (1971); विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय (1972), आदि।

बर्टेले फुट

वैज्ञानिकों ने **2009 में इथियोपिया में खोजे गए 3.4 मिलियन वर्ष पुराने "बर्टेले फुट" नामक जीवाश्मों** के रहस्य को सुलझा लिया है।

बर्टेले के बारे में

- **आकारिकी:** आठ हड्डियां, जो एक **दो-पैर वाले होमिनिन** को दर्शाती हैं, जिसमें एक **अभिमुखी बड़ा अंगूठा** (opposable big toe) मौजूद है। यह विशेषता वृक्षों पर चढ़ने की निरंतर क्षमता को इंगित करती है।
- **हालिया निष्कर्ष:** इसी स्थल के पास **4.5 वर्ष के बच्चे के 25 दांत और जबड़े की हड्डी** के हालिया निष्कर्षों ने पुष्टि की है कि यह पैर **ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेयिरेमेडा (Australopithecus deyiremeda)** प्रजाति से संबंधित था।
  - यह एक प्रारंभिक **होमिनिन** प्रजाति थी, जो **वनमानुष** और **मानवों** के समान विशेषताओं का संयोजन थी।
- **संबंध:** जीवाश्म इसके **ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ़ारेन्सिस (Australopithecus afarensis)** के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ़ारेन्सिस वह प्रजाति है, जिसमें प्रसिद्ध जीवाश्म **"लूसी"** शामिल है, जिसे **1974 में अफ़ार क्षेत्र** में खोजा गया था।

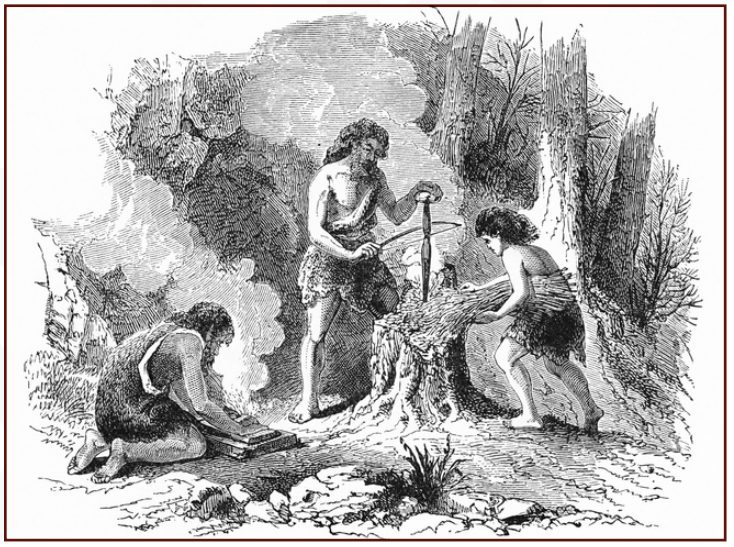

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

गिनी-बिसाऊ (राजधानी: बिसाऊ)

अफ्रीकी देश गिनी-बिसाऊ **सैन्य शासन के अधीन** आ गया।

गिनी-बिसाऊ के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** पश्चिमी अफ्रीका।
  - **सीमाएं: सेनेगल** (उत्तर); **गिनी** (पूर्व और दक्षिण)।
    - इसमें **बिजागोस (बिसागोस)** द्वीपसमूह और तट से लगे अन्य द्वीप शामिल हैं।
  - **समुद्री सीमा:** पश्चिम में **अटलांटिक** महासागर।
- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं:** फूटा जालोन पठार
    - **बोए पहाड़ियां** फूटा जालोन की पश्चिमी ढलानों से **कोरुबल बेसिन और गाबू मैदान** (उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित) तक फैली हुई हैं।
  - **प्रमुख नदियां:** गेबा, कोरुबल, कैचेउ, आदि।

त्रुटि सुधार:

- 27 नवंबर 2025 के न्यूज़ टुडे के "अन्य सुर्ख़ियां" अनुभाग में, "जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्ज़र्वेटरी" शीर्षक के अंतर्गत, यह गलत जानकारी दी गई थी कि JUNO जापान का एक मिशन है।